न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 74 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. रूघनाथराम पुत्र रामलाल जाति राईका निवासी नयागांव तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री गोविन्द प्रसाद अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 17/04/2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गांव नयागांव पटवार हल्का नयागांव तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी की कृषि भूमि आयी हुई स्थित है, जिसका विवरण इस प्रकार है— सम्पति ''ए'' वर्तमान खाता सं0 272 खसरा नंबर 23, 476, 477, 479 कुल खसरा 04 कुल रकबा 1.8800 हैक्टर, सम्पति ''बी'' वर्तमान खाता सं0 111 खसरा नंबर 508, 510, 512, 514 कुल खसरा 04 कुल रकबा 142.5100 हैक्टर, सम्पति ''सी'' वर्तमान खाता सं0 342 खसरा नंबर 184, 271, 511, 533, 623, 721 कुल खसरा 06 कुल रकबा 4.8000 हैक्टर की आयी हुई स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि सम्पति ''ए'' के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रामाराम पुत्र गिरधारीराम जाति राईका, सम्पति ''बी'' के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रामा पुत्र गिरधारी जाति महाजन तथा सम्पति ''सी'' के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रामलाल पुत्र गिरधारी जाति राईका अंकित हैं। राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा पेन ऑफ स्लिफ से सहवन से बिना सरकारी/अर्द्धसरकारी दस्तावेजों का अवलोकन किये प्रार्थी के पिता का नाम रामलाल पुत्र गिरधारी लाल के स्थान पर उक्तानुसार अंकित कर दिया गया जो कि सद्भाविक रूप से सहवन से दर्ज किया गया है, जबकि प्रार्थी के पिता के समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम रामलाल पुत्र गिरधारी लाल अंकित है, जो सही हैं। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि ए, बी, सी के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम उक्तानुसार गलत इन्द्राज के स्थान पर सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम रामलाल पुत्र गिरधारी लाल शुद्ध अंकित कर राजस्व रेकर्ड में संशोधन किया जाने की ईशतदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

कृषि भूमि सरहद मौजा नयागांव में स्थित होना, पैरा सं0 2 का जवाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 03, 04 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम उक्तानुसार गलत इन्द्राज के स्थान पर रामलाल पुत्र गिरधारी लाल कौम राईका दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की ईस्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, अन्य दस्तावेजात का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य राजस्थान राज पत्र साधारण के 10/04/2025 के अंक 2, पेज संख्या 394 पर नाम परिवर्तन की घोषणा बाबत प्रकाशित शपथ पत्र से तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम रामाराम पुत्र गिरधारी, राना पुत्र गिरधारी नहीं होकर रामलाल पुत्र गिरधारी लाल होने की संपुष्टि होती है। जिससे प्रार्थित भूमि ए, बी, सी में उक्तानुसार त्रुटि में शुद्धि करते हुए प्रार्थी के पिता का सही व वास्तविक नाम रामलाल पुत्र गिरधारी लाल कौम राईका दुरूस्त रूप से इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

–: <u>आदेश</u> :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पति ए, बी, सी के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का सही व वास्तविक नाम रामलाल पुत्र गिरधारी लाल कौम राईका दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)
(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 17/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत